तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **मीरा देवी बनाम रामशरण** **अपील संख्या 2025/1242**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
08.04.26	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता अपीलान्ट उपस्थित। उन्होने प्रार्थना पत्र बाबत अपील विड्रा करने एवं उसके संलग्न अपीलार्थीया के आधार कार्ड संख्या 4092 2646 9996 की छाया प्रति एवं राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में दायर मुन्तकिली प्रार्थना पत्र संख्या 6372/2025 बउनवानी हनुमान प्रसाद बनाम श्रीमती पूनम के निर्णय दिनांक 18.03.2026 की प्रमाणित प्रतिलिपि पेश की, जो शामिल मिसल की गई। तत्पश्चात् अधिवक्ता अपीलान्ट की प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। उन्होने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान में दायर मुन्तकिली प्रार्थना पत्र संख्या 6372/2025 बउनवानी हनुमान प्रसाद बनाम श्रीमती पूनम राजस्व मण्डल के निर्णय दिनांक 18.03.2026 के द्वारा खारिज की जा चुकी है तथा अपीलार्थीया न्यायालय श्रीमान् के समक्ष विचाराधीन अपनी अपील को आगे चलाना नही चाहती है। इसलिये अपील को विड्रो किये जाने की अनुमति प्रदान कर खारिज करने के आदेश प्रदान करें। हमने अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। जिससे विदित होता है कि राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में दायर मुन्तकिली प्रार्थना पत्र संख्या 6372/2025 बउनवानी हनुमान प्रसाद बनाम श्रीमती पूनम को राजस्व मण्डल के निर्णय दिनांक 18.03.2026 के द्वारा खारिज किया जा चुका है तथा अपीलार्थीया स्वयं ही न्यायालय हाजा के समक्ष विचाराधीन हस्तगत अपनी अपील को अब आगे चलाना नही चाहती है। ऐसी स्थिति में अब हस्तगत अपील को आगे चलाये रखे जाने का कोई औचित्य प्रतीत नही होता है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थीया स्वयं के द्वारा हस्तगत अपील को विड्रो किये जाने के कारण अपील अपीलार्थीया खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा तहत रिकार्ड वापस लौटाया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो व बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया। (वे.सरवण कुमार) संभागीय आयुक्त, जयपुर।	